इकाई कार्यालय, वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक, रीको लिमिटेड, जयपुर(ग्रामीण), 22 गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र जयपुर।

क्रमांकः यू–(12)–3/2019–20/150
दिनांकः 23 अप्रेल,2019

–ःसूचनाः–

रीको इकाई कार्यालय जयपुर(ग्रामीण), 22 गोदाम, जयपुर ग्रामीण के अन्तर्गत आने वाले औद्यौगिक क्षेत्रों के सभी वैध आवंटियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के लिये सर्विस चार्जेज की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई हैः–

क.स	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	औद्योगिक भूखण्डो हेतु वर्ष 2019–20 की सर्विस चार्जेज की दर
1.	बिन्दायका, बगरू(पुराना), बगरू(विस्तार), बगरू(विस्तार) द्वितीय चरण, कांट कालवाड़(विस्तार), कूकस, कूकस(विस्तार), करतारपुरा, मानपुर माचेडी, 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा एवं सुदर्शनपुरा(विस्तार)	रूपयें 9.75/– प्रति वर्गमीटर
2.	शाहपुरा	रूपयें 6.95/– प्रति वर्गमीटर
3.	दूदू	रूपयें 4.05/– प्रति वर्गमीटर
4.	फुलेरा	रूपयें 2.90/– प्रति वर्गमीटर

नोटः–

1. औद्योगिक भूखण्ड हेतु इस वित्तिय वर्ष के लिए न्यूनतम राशि रूपये 1000/– है।
2. व्यावसायिक एवं आवासीय भूखण्ड हेतु औद्योगिक दर की दो गुणा दर लागू होगी, व्यावसायिक भूखण्ड के लिये न्यूनतम राशि रूपयें 500/– रहेगी।
3. सर्विस चार्जेज की राशि की अन्तिम गणना के लिये निकटतम रूपयें 10/– तक राशि राउण्ड ऑफ की जावेगी।
4. उपरोक्त राशि जमा कराने हेतु देय तिथि 31.07.2019 है। अतः सभी वैध आवंटी देय तिथि तक बकाया राशि रीको इकाई कार्यालय, 22 गोदाम, जयपुर में जमा करा देवें। दिनांक 31.07.2019 तक उक्त राशि जमा नही होने पर बकाया राशि पर 01.04.2019 से नियमानुसार ब्याज जमा कराना होगा। बकाया राशि की जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
5. किसी भी प्रकार की राशि निगम के खाते में कैशलेस/चैक/डीडी माध्यम से ही जमा करानी होगी एवं जमा कराई गई राशि की सूचना (यू.टी.आर. आदि द्वारा) इस कार्यालय को प्रेषित करनी होगी, ताकि रसीद जारी की जा सके। बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार हैः–

Name	:	RIICO LTD.
Bank Name	:	Bank of Baroda, Bais Godam, Jaipur
Account No.	:	25220200000010
IFSC Code	:	BARB0INDBAI (5th Character is zero)
Email ID	:	jaipurrural@riico.co.in

6. रीको से ऑनलाईन व्यवहार करने हेतु कृपया sso.rajasthan.gov.in पर आईडी बनाकर रीको पोर्टल पर अपनी प्रोफाईल एक्टिवेट करने के लिये अधिकृत पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

राज्य सरकार की नीति एवं निगम नियमानुसार 500 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डो पर रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर (निर्धारित मानक एवं डिजाईन के अनुसार) दिनांक 30.06.2019 तक निर्मित कर रीको कार्यालय मे सूचित किया जाना वांछित था कृपया सूचित रहें कि भूखण्ड पर ''रेन वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर'' का निर्माण नहीं किये जाने पर 2000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर रू. 25,000/– एवं 2000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर रू. 50,000/– प्रतिवर्ष शास्ती एवं इस पर प्रभावी माल एवं सेवा कर देय है।

व0उप महाप्रबन्धक एवं
इकाई प्रभारी

प्रतिलिपिः—

1. वित्तिय सलाहकार, रीको लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर को सूचनार्थ।
2. महाप्रबन्धक (पी.आर.), रीको लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कार्यालय आदेश रीको की बेवसाइट पर डालने का श्रम करें।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, रीको लिमिटेड, जयपुर(ग्रामीण), 22 गोदाम, जयपुर को पालनार्थ।
4. अध्यक्ष/महासचिव, इण्डस्ट्रीयल ऐसोसियेशन, औद्योगिक क्षेत्र........................ को भेजकर निवेदन है कि औद्योगिक क्षेत्र के सभी वैध आवंटीयों को सूचना पहुँचाने का श्रम करें तथा बकाया राशि जमा करवाने एवं ''रेन वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर'' के निर्माण के लिए प्रेरित भी करने का श्रम करें।
5. नोटिस बोर्ड इकाई कार्यालय, जयपुर(ग्रामीण)।
6. कार्यालय प्रतिलिपि।

22.04.19

व0उप महाप्रबन्धक एवं
इकाई प्रभारी

May pl. upload on the RIICO website.
24/04/2019
DGM (Comp).